न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर0ए0एस0,

नम्बर मुकदमा रा.अपील 15/2017

अनवान :–

गंगाराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर

अपीलाण्ट

–: बनाम :–

स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार, नोखा जिला बीकानेर

रेस्पोण्डेण्ट

::अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की तरफ से – श्री मेघराज परिहार एडवोकट
2. स्टेट की और से – विभागीय प्रतिनिधि

–: निर्णय :– दिनांक 12.06.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 17.10.2014 से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार नोखा द्वारा अपीलान्ट को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा तौर पर बेदखल व शास्ति आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश खिलाफ कानून, कायदा, इंसाफ पत्रावली एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर जैर अपील आदेश दिनांक 17.10.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि अदालत मातहत ने जैर अपील अपीलान्ट को हाल खसरा नम्बर 6509/752 रकबा 2.15 हैक्टयर रोही पांचू पर अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्ट को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर नहीं दिया सारी कार्यवाही अपीलान्ट की पीठ पीछे एकतरफा तौर पर की जाकर बाला–बाला बेदखल करने व शास्ति कायम करने का आदेश प्रदत किया है । अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील प्रदत किये जाने से पूर्व

Scanned by CamScanner

विहित कानून, कानूनी प्रक्रिया का पालन अनुकरण नहीं किया। कथित भू. अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 23.9.2014 को पत्रावली संख्या 195/2014 दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 01.10.2014 को नोटिस जारी कर बिना तामील के दिनांक 17.10.2014 को भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर आदेश जैर प्रदत किया गया, जो रिपोर्ट भू.प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा बनाये गये गलत अंकन पर आधारित है। बिना वस्तुस्थिति व राजस्व रिकार्ड की जांच व पैमाईश करवाए जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को बेदखल करने के लिए पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर कहे जाने पर दिनांक 20.04.2017 को हुई तत्पश्चातः अपीलान्ट नोखा आकर दिनांक 23.04.2017 अपीलाधीन आदेश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 17.5.2017 को नकुलात प्राप्त कर कानूनी सलाह व खर्चे आदि का प्रबन्ध कर अपील पेश की गई है, जो तारीख प्रथम जानकारी से बाद देने नकल के दिन अन्दर मियाद है। क्षेत्राधिकार विहिन एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध एकतरफा तौर पर प्रदत आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने में मियाद अधिनियम के तहत कोई बाधा नहीं है फिर भी कानूनी पेचिदगियों से बचने के उद्देश्य से धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमायी जाकर जैर अपील आदेश दिनांक 17.10.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का पांचू 'ए' द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी ने वाके रोही ग्राम पांचू के किस्म भूमि बारानी द्वितीय खसरा नम्बर 6509/752 रकबा 2.15 हैक्टयर संवत 2071 में कब्जा करके अतिक्रमण किया है। प्रस्तुत रिपोर्ट पर जांच करवाई जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई । अपीलार्थी को तलब किया गया बावजूद अपीलार्थी हाजिर नहीं मिलने पर नोटिस की प्रति उसके आबाद मकान पर चस्पा किया गया। लेकिन अपीलार्थी उपस्थित नहीं आये। अतः अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल करते हुवे तावान का 50 गुणा बतौर शास्ति कायम की जाकर वसूल करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट राजकीय भूमि का अतिक्रमी है एवं सरकारी भूमि को हड़पने के उद्धेश्य से अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी राजकीय भूमि पर अतिक्रमी का दोषी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुवे विलम्ब के संबंध में नरम रूख अपनाते हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाना उचित समझते हुवे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है। पटवारी हल्का पांचू के द्वारा प्रस्तुत पी–14 के मुताबिक संवत 2071 फसल खरीफ में खसरा नम्बर 6509/752 की 2.15 हैक्टयेर भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होने पर जरिये नोटिस तलब किया गया, जो कि रामचन्द्र पुत्र खैराजराम की उपस्थिति में आबाद मकान पर चस्पादंगी से तामील होना अंकित है। गैर सायल की अनुपस्थिति में दिनांक 17.10.2014 को अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर कोई कानूनी अधिकार होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। लिहाजा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.स्व गौरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बीकानेर

जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर